रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 1975/पौष 30, 1896
No. 30] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 1975/PAUSA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 20th January 1975

S.O. 42(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (4) read with sub-section (5) of section 53 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the Central Government hereby directs that the Assam State Warehousing Corporation established under the notification of the Government of Assam No. Coop. 391/73/43, dated the 27th December, 1974 and the Meghalaya State Warehousing Corporation established under the notification of the Government of Meghalaya No. MCP-25/73/7, dated the 28th March, 1973, shall, with effect from 20th January, 1975 take over from the Assam State Warehousing Corporation established for the composite State of Assam under the notification of the Government of Assam No. RDC. 3/57/205, dated the 12th August, 1958 and referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 53 of the said Act, (hereinafter referred to as the "Composite State Warehousing Corporation") the assets, right and liabilities of the Composite State Warehousing Corporation specified in Part I and Part II respectively of the Schedule hereto annexed.

THE SCHEDULE

PART I.—*Assets, rights and liabilities to be taken over by the Assam State Warehousing Corporation.*

(i) All land, machinery, stores, articles and other goods situate within the State of Assam (the term "land" includes immovable property of every kind and any right in or over such property, and the term "goods" does not include coins, bank notes or currency notes).

(ii) All accrued income in respect of stocks lying in warehouse centres situate in the State of Assam.

(iii) The benefit of advance payments in respect of insurance and rent of the warehouses situate in the State of Assam.

(iv) The liability for payment of outstanding bills pertaining to the period prior to the commencement of this Order other than billls, if any, relatable to the warehouse situate in the State of Meghalaya.

(v) All other assets (including cash and investments), rights and liabilities, other than those covered by Part II hereinbelow.

(vi) Every employee of the Composite State Warehousing Corporation working in a warehouse centre situate in the State of Assam shall stand transferred to the Assam State Warehousing Corporation on the same terms and conditions of service as were applicable to him immediately before the commencement of this Order.

PART II.—*Assets, rights and liabilities to be taken over by the Meghalaya State Warehousing Corporation.*

(i) All land, machinery, stores, articles and other goods situate within the State of Meghalaya (the term "land" includes immovable property of every kind and any right in or over such property, and the term "goods" does not include coins, bank notes or currency notes).

(ii) All accrued income in respect of stocks lying in the warehouse centre situate in the State of Meghalaya.

(iii) The benefit of advance payments in respect of insurance and rent of the warehouse situate in the State of Meghalaya.

(iv) The liability for payment of outstanding bills pertaining to the period prior to the commencement of this Order relatable to the warehouse situate in the State of Meghalaya.

(v) Every employee of the Composite State Warehousing Corporation working in the warehouse centre situate in the State of Meghalaya shall stand transferred to the Meghalaya State Warehousing Corporation on the same terms and conditions of service as were applicable to him immediately before the commencement of this Order.

(vi) Without prejudice to the provisions of paragraph (v), such of the members of the staff working in the Head Office of the composite State Warehousing Corporation as are required by the Meghalaya State Warehousing Corporation shall also be transferred to the Meghalaya State Warehousing Corporation on the same terms and conditions of service as were applicable to them immediately before the commencement of this Order, provided the Assam State Warehousing Corporation agrees to such transfer.

[No. 7-7/73-SG]

R. K. SHASTRI, Jt. Secy.

कृषि और सिचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1975

का० आ० 42(अ).—पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 53 की उप-धारा (5) के साथ पठित, उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदिष्ट करती है कि आसाम सरकार की अधिसूचना सं० सहकारिता-391/73/43, तारीख 27 दिसम्बर, 1974 के अधीन स्थापित आसाम राज्य भाण्डागारण निगम और मेघालय राज्य की अधिसूचना सं०-एम० सी० पी०-25/73/7, तारीख 28 मार्च, 1973 के अधीन स्थापित मेघालय राज्य भाण्डागारण निगम,

20 जनवरी, 1975 से ही, आसाम सरकार की अधिसूचना सं० आर० डी० सी० –3/57/205, तारीख 12 अगस्त, 1958 के अधीन सम्मिश्र आसाम राज्य के लिए स्थापित तथा उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आसाम राज्य भाण्डागारण निगम से (जिसे इसमें इसके पश्चात "सम्मिश्र राज्य भाण्डागारण निगम" कहा गया है), सम्मिश्र राज्य भाण्डागारण निगम की वे आस्तियां, अधिकार और दायित्व, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के क्रमशः भाग 1 और भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं, ग्रहण कर लेंगे ।

अनुसूची

भाग 1.--आसाम राज्य भाण्डागारण निगम द्वारा ग्रहण की जाने वाली आस्तियां अधिकार और दायित्व ।

(1) आसाम राज्य में स्थित सब भूमि, मशीनरी, भण्डार, वस्तुएं और अन्य माल ("भूमि" पद के अन्तर्गत हर प्रकार की स्थावर सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति में या उस पर अधिकार भी है और "माल" पद के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं आते ।

(2) आसाम राज्य में स्थित भाण्डागारण केन्द्रों में मौजूद स्टाकों की बाबत सब प्रोदभूत आय ।

(3) आसाम राज्य में स्थित भाण्डागारणों के बीमे और किराए की बाबत अग्रिम संदायों की प्रसुविधा ।

(4) इस आदेश के प्रारम्भ होने से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित परादेय बिलों के, जो मेघालय राज्य में स्थित भाण्डागार से सम्बन्धित बिलों से, यदि कोई हों, भिन्न हों, संदाय का दायित्व ।

(5) अन्य सभी आस्तियां (जिनमें नकदी और विनिधान भी सम्मिलित हैं), अधिकार और दायित्व, जो उनसे भिन्न हैं जो कि इसमें नीचे भाग 2 के अन्तर्गत आते हैं ।

(6) आसाम राज्य में स्थित भण्डागार केन्द्र में कार्य करने वाला, सम्मिश्र राज्य भाण्डागारण निगम का प्रत्येक कर्मचारी, सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो इस आदेश के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व उसको लागू थीं, आसाम राज्य भाण्डागारण निगम को अन्तरित हो जाएगा ।

भाग 2.--मेघालय राज्य भाण्डागारण निगम द्वारा ग्रहण की जाने वाली आस्तियां, अधिकार और दायित्व ।

(1) मेघालय राज्य में स्थित सब भूमि, मशीनरी, भण्डार वस्तुएं और अन्य माल ("भूमि" पद के अन्तर्गत हर प्रकार की स्थावर सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति में या उस पर अधिकार भी है, और "माल" पद के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं आते हैं) ।

(2) मेघालय राज्य में स्थित भाण्डागार केन्द्रों में मौजद स्टाकों की बाबत सब प्रोदभूत आये ।

(3) मेघालय राज्य में स्थित भाण्डागारों के बीमे और किराए की बाबत अग्रिम संदायों की प्रसुविधा।

(4) इस आदेश के प्रारम्भ होने से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित परादेय बिलों के, जो मेघालय राज्य में स्थित भाण्डागार से सम्बन्धित बिलों से, यदि कोई हों, भिन्न हों, संदाय का दायित्व।

(5) मेघालय राज्य में स्थित भाण्डागार केन्द्र में कार्य करने वाला, सम्मिश्र राज्य भाण्डागारण निगम का प्रत्येक कर्मचारी, सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो इस आदेश के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व उसको लागू थीं, मेघालय राज्य भाण्डागारण निगम को अन्तरित हो जाएगा।

(6) पैरा (5) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सम्मिश्र राज्य भाण्डागारण निगम के प्रधान कार्यालय में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारी भी, जिनकी मेघालय राज्य, भाण्डागारण निगम द्वारा अपेक्षा की जाये, सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो इस आदेश के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व उनको लागू थीं, मेघालय राज्य भाण्डागारण निगम को अन्तरित किए जाएंगे, परन्तु तब जब कि आसाम राज्य भाण्डागारण निगम ऐसे अन्तरण के लिए अपनी सहमति दे दे।

[सं० फा० 7–7/73–एस० जी०]।

आर० के० शास्त्री, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, NEW DELHI, 1975